



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 6, 2012/आषाढ़ 15, 1934

No. 331]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 6, 2012/ASADHA 15, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 538(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) अवर श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास मंत्रालय में समूह 'ग' पदों अधीनस्थ अनुसचिवीय कर्मचारीवृन्द की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है,

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपाबद्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर श्रेणी लिपिक	1842* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण-केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराज्यपत्रित/अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. ग्रेड वेतन 1900 रुपये	लागू नहीं होता	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत (अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को छोड़कर) में अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति की तारीख अंतिम तारीख होगी। उन पदों की बाबत, जिन पर नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जानी है, आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक वह अंतिम तारीख होगी जिस तक कर्मचारी चयन आयोग से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है
	(7)		(8)		(9)
मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट टंकण गति।			जी हां, स्तम्भ 10 में उल्लिखित सीमा तक		दो वर्ष
भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत				प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	
	(10)				(11)
1. 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। 2. 10 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर 1800 ग्रेड-वेतन वाले समूह 'ग' के उन कर्मचारियों से भरी जाएगी जो 12वीं उत्तीर्ण अर्हता या समतुल्य अर्हता रखते हैं और जिन्होंने उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है। परीक्षा के				स्तम्भ 10 में किए गए कथनानुसार	

(10)

लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आयु सीमा 50 वर्ष) है।

टिप्पण : यदि परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है तो पश्चात्तवर्ती वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए ऐसी अधिक संख्या में कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा ताकि पूर्वतर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो बाद में परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं।

3. ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर 5 प्रतिशत रिक्तियां समूह 'ग' के ऐसे कर्मचारियों से भरी जाएंगी जो 12वीं उत्तीर्ण है अथवा समतुल्य अर्हता रखते हैं तथा जिन्होंने 1800 ग्रेड वेतन में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसका गठन किस प्रकार से किया है

परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती के संबंध में परामर्श किया जाना है

(12)

(13)

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

लागू नहीं होता।

- | | |
|--|----------|
| 1. अधीक्षण इंजीनियर (समन्वय) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग | —अध्यक्ष |
| 2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से दो कार्यपालक इंजीनियर | —सदस्य |

[फा. सं. 45/4/2004-ईडब्ल्यू-2]

वर्गिस योहन्नान, डेस्क अधिकारी (ईडब्ल्यू-2)

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th July, 2012

G.S.R. 538(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Public Works Department, (Subordinate Offices) Lower Division Clerk Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts Subordinate Ministerial Staff, Central Public Works Department in the Ministry of Urban Development, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Public Works Department, (Subordinate Offices) Lower Division Clerks (Group-C), Recruitment Rules 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.—The number of post, its classification, and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lower Division Clerk	1842 *(2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted/ Ministerial	Pay Band-I, ₹ 5200—20200+ (Grade Pay ₹ 1900)	Non-applicable	Between 18 and 27 years (Relaxation for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.—The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointments are made through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which Staff Selection Commission is asked to submit the names.
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)			(8)		(9)
12th Class or equivalent qualification from a recognised Board or University. A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer.			Yes, to the extent indicated in Column 10.		Two years
Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods				In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	
(10)				(11)	
(i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission.				As stated in column 10	
(ii) 10% of vacancies shall be filled up from amongst the Group 'C' Staff in the Grade Pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass qualification or equivalent qualification and have rendered three years regular service in Grade, on the basis of a departmental					

(10)

qualifying Examination: The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes).

Note.—If more of such employees than the number of vacancies available qualified in the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.

(iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who possess 12th Class pass qualification or equivalent qualification and have three years regular service in posts with the Grade pay of Rs. 1800.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotion Committee for consisting of:—

Not applicable.

1. Superintending Engineer (Coordination), Central Public Works Department —Chairman
2. Two Executive Engineers, from Central Public Works Department —Members

[F.No. 45/4/2004-S&D(EW-2)]

VARGHESE YOHANNAN, Desk Officer (EW-2)

2475 GZ/12-2